ऑन लाईन नं.RCMS2021/157

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 16/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री जयप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री हुकमचन्द छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 41, शास्त्री चौंक के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —विकेता एवं मालिक—
मै0 राज पनीर हाउस, रेलवे रोड़, सूरतगढ।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 08.06.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजरथान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2020 को दोपहर बाद 4.30 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री जयप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री हुकमचन्द छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 41, शास्त्री चौंक के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर मैसर्स राज पनीर हाउस, रेलवे रोड़, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक श्री जयप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री हुकमचन्द छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 41, शास्त्री चौंक के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था, जिसका विकेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में **पनीर**, लगभग 40 किलो विकय हेतु रखा था। शुद्वता की जांच हेतु विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विकेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विकता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **पनीर**, लगभग 40 किलो मे से 1 किलो पनीर नमनू वास्ते लिए एवं जिसके पेटे 280/—रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विकेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा **पनीर,** लगभग 40 किलो में से 1 किलो नमूने वास्ते लिया। जिसको एकरूप करके चार डिब्बो में प्रत्येक में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर परीक्षक बतौर फोरमलिन की 20–20 बूंदे मिलाकर एयरटाईट ढक्कन से बंद कर प्रत्येक डिब्बे पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1093** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1093** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के–1093 पनीर** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री जयप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री हुकमचन्द छाबड़ा ,ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस / 215 / एक्ट / 2020 / 216 दिनांक 13.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1093 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री जयप्रकाश छाबड़ा पुत्र श्री हुकमचन्द छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 41, शास्त्री चौंक के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Paneer** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 17.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :– **प्रारम्भिक आपित्तयां**

यह कि आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्व जो परिवाद प्रस्तुत किया है वह सूरतगढ न्यायालय से सम्बन्धित होने के कारण श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

1. परिवाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है।
2. परिवाद पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
3. परिवाद पत्र की मद संख्या 03 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

4. यह कि परिवाद पत्र की मद सख्या 04 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है। गवाहन में कोई हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष नहीं करवाए गए है और न ही पनीर लगभग 40 किलो में से एक किलो पनीर के नमूना वास्ते खाद् पदार्थ लिया।
5. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 05 के कथन जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है। जब फर्द ही प्रार्थी के सामने तैयार नहीं की गई तो इस चरण में अंकित कथनों से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी के विरूद्व झूठा प्रकरण बनाने के आशय से इस मद में मिथ्या कथन अंकित किए गए है। पनीर लगभग 40 किलो में से एक किलो पनीर के नमूना वास्ते खाद् पदार्थ नहीं लिऐ एवं न ही 4 डिब्बो में बराबर मात्रा में भरकर लेबल तैयार कर नमूना पर लेबल चिपकाए और लेबल को अलग–अलग खाकी कागज मे लपेट कर गोंद से चिपकाया गया और न ही जार को खाकी कागज में लपेट कर गोंद से चिपकाया गया व न ही चार जगह सील मोहर से चपटी किया गया तथा न ही नमूना जांच की सूचना प्रार्थी को दी गई व न ही फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थी व गवाहन के हस्ताक्षर करवाए गए।
6. यह कि परिवाद की मद संख्या 06 में वर्णित कथनों की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है।
7. यह कि परिवाद की मद संख्या 07 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है । प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना की गई है। परिवादपत्र की इस मद में केवल मात्र सबस्टेन्र्डड पाया गया अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावट खद्य पदार्थ विकय नहीं किया जा रहा था।
8. यह कि परिवाद की मद संख्या 08 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है। इस मद में आवेदक को किस तारीख को प्राधिकृत किया गया था जिसका अंकन नहीं है जिससे भी स्पष्ट है कि आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत एवं सक्षम नहीं है।
9. यह कि परिवाद की मद संख्या 09 में वर्णित तथ्य में कोई स्पष्ट विवरण नहीं होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है एवं न ही इस चरण में प्रार्थी के विरूद्व क्या आरोप है इसका कोई विवरण अंकित है।
10. यह कि परिवाद की मद संख्या 10 जिस प्रकार से दर्ज की गई है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के खोवा का विकय नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी की दुकान से तोस केवल पनीर के सैम्पल ही लिए गए थे जिसका खोवा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 200 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का किसी प्रकार से उल्लधंन नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी पर धारा 51 में निर्धारित जुर्माना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अतः जवाब परिवादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर परिवादपत्र निरस्त फरमाया जावें और अगर न्यायालय प्रकरण के किसी स्तर पर यह पता है कि प्रार्थी के विरूद्व कोई अपराधिक कृत्य किया गया है तो प्रार्थी के विरूद्व नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाकर पत्रावली का निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Paneer** का सैम्पल के–1093 जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/215/एक्ट/2020/216 दिनांक 13.11.2020 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि परिवाद पत्र में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है। गवाहन में कोई हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष नहीं करवाए गए है और न ही पनीर लगभग 80 किलो में से एक किलो पनीर के नमूना वास्ते खाद् पदार्थ लिया। जब फर्द ही प्रार्थी के सामने तैयार नहीं की गई तो इस चरण में अंकित कथनों से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी के विरूद्व झूठा प्रकरण बनाने के आशय से इस मद में मिथ्या कथन अंकित किए गए है। पनीर लगभग 80 किलो में से एक किलो पनीर के नमूना वास्ते खाद् पदार्थ नहीं लिऐ एवं न ही 4 डिब्बो में बराबर मात्रा में भरकर लेबल तैयार कर नमूना पर लेबल चिपकाए और लेबल को अलग–अलग खाकी कागज मे लपेट कर गोंद से चिपकाया गया और न ही जार को खाकी कागज में लपेट कर गोंद से चिपकाया गया व न ही चार जगह सील मोहर से चपटी किया गया तथा न ही नमूना जांच की सूचना प्रार्थी को दी गई व न ही फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थी व गवाहन के हस्ताक्षर करवाए गए। प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना की गई है। परिवादपत्र की इस मद 6 में केवल मात्र सबस्टेन्र्डड पाया गया अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावट खद्य पदार्थ विकय नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के सबस्टेन्र्डड पनीर का विकय नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का किसी प्रकार से उल्लधंन नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी पर धारा 51 में निर्धारित जुर्माना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त तथ्यों के आधार पर परिवादपत्र निरस्त फरमाया जावें और अगर न्यायालय प्रकरण के किसी स्तर पर यह पता है कि प्रार्थी के विरूद्व कोई अपराधिक कृत्य किया गया है तो प्रार्थी के विरूद्व नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाकर पत्रावली का निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Paneer"**Code No and Sr. No. K-1093 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and standards (Food Products Standaards and Food Additive) Regulations,2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त जयप्रकाश छाबड़ा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त जयप्रकाश छाबड़ा को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में Paneer” खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी, एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर